भागुराम भील वि. हमारचन्द भील वगैरा रि. अपील-3

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज प्रकरण 211/12	नम्बर व अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.07.2017–	–पत्रावली चिन्हित होने से राजस्व लोक अदालत केम्प में तलब की गयी। प्रकरण में पक्षकारान की जानकारी मजमे आम दोराने केम्प की गयी तथा रिर्पोट तामिल कुलिन्दा एंव जानकारी सचिव ग्राम पंचायत अनुसार जाहिर आया की उक्त वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या–18 व 20 की मत्यु निर्धारित अवधि से पूर्व हो चुकी है। जिसके वारिसान को वादपत्र में आज दिनांक तक भी पक्षकारान कायमी हेतु पक्षकारान के द्वारा न्यायालय/लोक अदालत में भी कोई प्रार्थना–पत्र पेश नही किया गया है। तथा पक्षकरान की मत्यु की सूचना से भी न्यायालय को आज दिनांक तक अवगत नही करवाया गया है। ऐसी स्थिति में वाद पत्र चलने योग्य नही पाया जाता है। अतः प्रकरण में पक्षकरान की मत्यु की सूचना/का.मु. वकील वादी/वादीगण द्वारा न्यायालय में सूचना एंव प्रार्थना पत्र निर्धारित समयावधि में पेश नही करने व नियमानुसार प्रकरण में पक्षकरान कायम नही करने से वादी का वाद पत्र अबेट हो जाने से वादी का वादपत्र इसी स्तर पर खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर होकर नम्बंर से कम हो। निर्णय आज दिनांक को लोक अदालत में लिखाया जाकर मजमे आम सुनाया गया। (बलवन्तसिहं लिग्री) पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आसीन्द (भीलवाडा) लोक अदालत-2017	

Scanned by CamScanner